न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जैतारण (जिला–पाली) राज.

पीठासीन अधिकारी : डॉ. भास्कर बिश्नोई, आर0ए0एस0

राजस्व अपील संख्या : 08/2012

GCMS NO. : 2012/00113

अपीलान्ट	बनाम	रेस्पोडेन्ट्स्
1. माँगी देवी पुत्री जोधाराम जाति– माली, निवासी– आ0कालू तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज0)		1. सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू तहसील–जैतारण जिला–पाली राज.। 2. पुजा टाक पुत्री मिसरुराम जाति– माली निवासी– आ0कालू तहसील जैतारण, जिला– पाली (राज0)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरुद्ध आदेश सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू दिनांक नामान्तरण संख्या 739, 740 व दिनांक----- नामान्तरण संख्या 11, 1095, 1096 को निरस्त रद्द करने बाबत्

तारीख रजू:.17/09/2012

उपस्थितः–

1. श्री चुतरा राम भाटी, श्री जगदीश सोलंकी, अधिवक्ता, अपीलान्ट।
2. श्री सुरेश चौधरी, अधिवक्ता, रेस्पोडेन्ट्स्।

–:: निर्णयः– **दिनॉकः 25/02/2021**

वकील मय अपीलान्ट ने एक राजस्व अपील अन्तर्गत धारा –75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 विरुद्ध रेस्पोडेन्टान इस आशय की पेश की हैं कि सरहद मौजा– लिलरिया व आ0कालू के चक नम्बर एक में पटवार क्षेत्र आ0कालू चक– नम्बर एक में अपीलन्ट की पैतृक पुश्तैनी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की जमीन निम्न लिखित खसरान की आई हुई हैः– खसरा नम्बर 718 रकबा 02–16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 720 रकबा 02–17 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 903 रकबा 04–08 बीघा किस्म बारानी दोयम, खसरा नम्बर 914 रकबा 10–02 बीघा किस्म बारानी दोयम, कुल खसरा 04 रकबा 20–03 बीघा, खसरा नम्बर 704 रकबा 01–01 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 743 रकबा 00–03 बीघा किस्म चाही चतुर्थ, कुल खसरा 02 रकबा 01–04 बीघा, खसरा नम्बर 768 रकबा 01–10 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 742 रकबा 02–16 बीघा किस्म चाही दोयम, खसरा नम्बर 719 रकबा 00–03 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 718 रकबा 00–03 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 718 रकबा 00–06 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, कुल खसरा 05 रकबा 04–18 बीघा, खसरा नम्बर 565 रकबा 00–15 बीघा किस्म गैर मुमकिन बैरा, खसरा नम्बर 741 रकबा 79–11 बीघा किस्म चाही चतुर्थ, अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या दो की वंश वंशावली के अनुसार अपीलान्ट अपने पिता जोधाराम के जायन्दा इकलौती पुत्री है अन्य कोई सन्तान हनी है, अपीलान्ट के माता–पिता ने अपने जीवनकाल में मिसरू को गोद नहीं लिया अपीलान्ट के पिता जोधाराम के फौत होनें पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पिता मिसरू जो हापूराम का जायन्दा पुत्र है अपने आपको

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

जोधाराम को जायन्दा पुत्र बताकर बाले बाले आज से 35 वर्ष पूर्व सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू तत्कालिन पटवारी पटवार हल्का आ0कालू चक नम्बर 1 से मिलकर अपीलान्ट को सूचना दिये बिना ही गांव में अपने परिवार में भाईयों को बिना पूछे ही सम्वत् 2033 में जोधाराम के स्थान पर विरासत का नामान्तरण संख्या 739, 740 अपने नाम भरवा कर राजस्व रेकर्ड में रेस्पोडेन्टस संख्या 02 के पिता मिसरू ने अपने अकेले का नाम दर्ज करवा दिया तथा आज से 23 वर्ष पूर्व रेस्पोडेन्ट संख्या 2 के पिता मिसरू की मृत्यु होने पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो व उसकी माता दरियाव ने जरिये फौतेदगी नामान्तरण संख्या 11, 1095, 1096 के मार्फत दोनों मां व बेटी दरियाव पूजा का नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज करवा दिया जो पांचों नामान्तरण गलत व विधि विरूद्ध होनें से एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरीत होनें से खारिज किये जानें योग्य है। अपीलान्ट की खातेदारी एवं कब्जे काश्त की उक्त मुतनाजा भूमि में रेस्पोडेन्ट संख्या दो का कोई कानूनी हक हिस्सा अधिकार व सराकत नहीं है अपीलान्ट अनपढ़ गरीब औरत होनें से आज तक अपीलान्ट ज्ञात नहीं होनें दिया अपीलान्ट के पिता के कुल पांच भाई थे। लेकिन रेस्पोडेन्ट संख्या दो के पिता मिसरू ने किसी को मालूम नहीं पड़ने दिया और धोखे से जोधाराम का जायन्दा पुत्र बनकर अपना नाम दर्ज करवा दिया जिसको खारिज किया जाकर जोधाराम की उत्तराधिकारी जायन्दा पुत्री अपीलान्ट मांगीदेवी ही होनें से पांचों नामान्तरण खारिज फरमाकर अपीलान्ट का नामदर्ज किया जाना जरूरी है। किसी भी व्यक्ति के फौत होनें पर फौतेदगी म्यूटेशन भरते वक्त मृतक के वारिसान उत्तराधिकारी के बारे में पटवारी व सरपंच ग्राम पंचायत व भू निरीक्षक द्वारा जांच किये बिना फौतेदगी नामान्तरण नहीं भरा जा सकता है लेकिन उक्त पांचों नामान्तरण संख्या 739, 740, 11, 1095, 1096 को बाले बोल बिना जांच किये भरे गये है जो विधि विरूद्ध होनें से निरस्त किया जाना जरूरी है रेस्पोडेन्ट संख्या दो पुजा की जगह राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट मांगीदेवी का नाम बतौर जोधाराम के वारिस के दर्ज किया जावें। रेस्पोडेन्ट संख्या दो व सह खातेदारान ने मिलकर सन् 2012 में आपस में तहसीलदार से बंटवाड़ा करवाकर अपना खाता भी अलग करवा दिया रेस्पोडेन्ट संख्या 02 के नाम निम्न खसरा ग्राम लिलरिया आ0कालू में दर्ज हुए है। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 लिमिटेशन एक्ट का पेश किया जो सा0मि0 है। प्रार्थना पत्र में जाहिर किया कि अपीलान्ट अनपढ़ महीला होनें से आज तक रेस्पोर्डेन्ट संख्या दो द्वारा कब्जे काश्त में दखलदांजी नहीं करनें से रोन्गा एन्ट्री का ज्ञान नहीं अपीलालन्ट द्वारा किसान क्रेडिट कार्ड बनाने के लिए पटवारी हल्का आ0कालू चक नम्बर एक के पास दिनांक 12.09.2012 को गई और अपनी खातेदारी जमा की नकल मांगी तब पटवार हल्का आ0कालू ने बताया कि आपका नाम राजस्व रेकर्ड में जोधाराम के बतौर उत्तराधिकारी के दर्ज नहीं है। जोधाराम की जगह मिसरू का नाम दर्ज था। बाद में मिसरू की पत्नि दरियाव व पुत्री पुजा का नाम दर्ज हो गया। दरियाव ने अपना हिस्सा अपनी पुत्री पुजा के नाम हक तर्क भी कर दिया है। अब एक मात्र पुजा का नाम दर्ज है और पटवारी ने यह भी बताया कि जमीन

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवंम
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

का रेकड़ में बंटवाड़ा करवाकर खाता भी अलग करवा दिये है, तब अपीलांट ने दिनांक 13.09.2012 को नामान्तरण की नकलें प्राप्त की तब सर्वप्रथम अपना नाम राजस्व रेकर्ड में दर्ज नहीं होनें का ज्ञात हुआ। म्युटेशन संख्या 739, 740, 11, 1095, 1096 सम्वत् 2033 स्वीकृत होनें का ज्ञात हुआ इसलिए सम्वत् 2033 से 2069 दिनांक 17.09.2012 तक समय को डिले कण्डोन फरमावें। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन है कि सम्वत् 2033 से 2069 दिनांक 17.09.2012 तक समय को डिले कण्डोन फरमाया जानें का आदेश प्रदान करावें।

अपीलान्ट की अपील दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोडेन्टान् को तलब किया गया। रेस्पोडेन्टान् ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद का जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जो सा0मि0 है। जवाब प्रार्थना पत्र में जाहिर किया है कि उपरोक्त अनवान के प्रकरण में अपीलांट ने एक अपील पेश की है। जिसमें 35 वर्ष पूर्व सम्वत 2033 में नामान्तरणकरण संख्या 739, 740 गलत भर दिये जाने का उल्लेख किया है। तत्पश्चात मिसरू पुत्र जोधाराम जी के फौत होने पर भूमि का म्युटेशन पूजा पुत्री मिसरू व मिसरू की पत्नी दरियाव के नाम भरे जाने का उल्लेख किया है। उक्त म्युटेशन 23 वर्ष पूर्व भरे जाने का उल्लेख किया है। तत्पश्चात दरियाव द्वारा अपने नाम दर्ज हुई भूमि हकतर्कनामा के जरिये पूजा टांक के नाम कर देने का उल्लेख अपील के पद संख्या 06 में किया गया है। इस प्रकार अपीलांट की और से पेश की गई इस अपील व इसमें वर्णित पद संख्या 06 से यह भलिभांति साबित है कि– मिसरू की पत्नी दरियाव देवी ने अपने नाम दर्ज किये गये हक हिस्से की भूमि रजिस्टर्ड हकतर्कनामा के जरिये पूजा टांक को दे दी है। हकतर्कनामा भी उप पंजीयन अधिकारी जैतारण के नाम से पंजीयनसुदा है। इस प्रकार से सम्पति हस्तान्तरण अधिनियम के प्रावधानों के माफिक दरियाव ने अपना हिस्सा पूजा टांक के पक्ष में तर्क कर दिया है। यानि अपना हिस्सा जरिये हकतर्कनामा के पूजा टांक को दे दिया है। हक तर्कनामा निष्पादित हो जाने के बाद उसकी वैधता का निर्धारण करने का क्षेत्राधिकार या उसको निरस्त (वॉईड) घोषित करने का अधिकार राजस्व न्यायालय को प्राप्त नहीं है। हक तर्कनामा के सम्बन्ध में सुनवाई का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार केवल मात्र सिविल न्यायालय को ही प्राप्त है। इस प्रकार से यह साबित है कि– भू राजस्व अधिनियम के प्रावधानों के तहकतर्कनामा की वैधता या अवैधता का निस्तारण नहीं किया जा सकता है। जब तक पूजा टांक के पक्ष में निष्पादित किया गया हकतर्कनामा अस्तित्व में है तब तक इस प्रकरण को सुनवाई का [illegible] व श्रवणाधिकार राजस्व न्यायालय को नहीं होकर के सिविल न्यायालय [illegible] है। इस प्रकार से अपीलांट की यह अपील विधि द्वारा वर्जित [illegible] के है। रेस्पोडेंट पूजा टांक को वादग्रस्त भूमि जरिये हकतर्कनामा के [illegible]धिकार में मिली है। जिसकी अपीलांट को भी भलिभांति जानकारी है। तब ऐसी परिस्थितियों में अपीलांट सक्षम न्यायालय से अपने हक व अधिकारों की घोषणा नहीं करवा लेती तब तक अपीलांट को रेस्पोडेंट के विरूद्ध वादहेतुक भी प्राप्त नहीं होता है। इस आधार पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

श्री अपीलांट की अपील काबिल अपास्त के अतः प्रार्थना पत्र रेस्पोडेंट पूजा टांक की और से प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपीलांट की और से प्रस्तुत यह अपील विधि द्वारा वर्जित होने से काबिल अपास्त के है। जो अपास्त फरमावे।

हमनें पत्रावली मय दस्तावेजात का गहनता से अध्ययन किया गया। हमनें उभय पक्षकारान की बहस ध्यानपूर्वक सुनते हुए उस पर मनन किया। प्रकरण का बिन्दुवार विवेचन एवं निर्णयन निम्नानुसार हैः-

1. अपीलांट मांगी देवी द्वारा रेस्पोडेन्ट के विरूद्ध अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956, प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम लिलरिया व आ0कालू की वादग्रस्त आराजी पैतृक पुश्तैनी होनें तथा खातेदार जोधाराम की एक मात्र संतान होनें के बावजूद पिता जोधाराम के फौत होनें पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो पुजा टाक के पिता मिसरू जो हापूराम का जायन्दा पुत्र है, द्वारा अपने आप को जोधाराम का जायन्दा पुत्र बता कर आज से 35 पूर्व ग्राम पंचायत आ0कालू तत्कालिन पटवारी से मिलकर मृतक जोधाराम के वारिसान की जांच किये बिना सम्वत् 2033 में जोधाराम के विरासत का ग्राम आ0कालू नामांतरण संख्या 739 व 740 स्वीकृत करवा कर, अपने अकेले का नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवा दिया गया। तत्पश्चात मिसरू कि मृत्यु होनें पर रेस्पोडेन्ट संख्या दो एवं उसकी माता दरियाव ने जरिये फौतदेगी नामांतरण संख्या 11, 1095, व 1096 स्वीकृत करवा कर दोनों ने अपना नाम राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज करवा दिया। इस प्रकार पांचों नामांतरण गलत एवं विधि विरूद्ध होनें से खारिज किये जाने योग्य है।

2. रेस्पोडेन्ट द्वारा दौरानें बहस अपीलांट का विरोध करते हुये यह कथन किया कि अपीलांट द्वारा बिना किसी समुचित कारण के अत्यंत देरिना नामान्तरण अपील प्रस्तुत कि गई है। साथ ही अपीलांट द्वारा पांच अलग-अलग नामान्तरणों की अलग अलग अपील प्रस्तुत नहीं कर एक ही अपील प्रस्तुत कि है जो स्वीकार योग्य नहीं है। अतः अपील अपीलांट खारिज कि जावें।

3. अपीलांट द्वारा भू अभिलेख में अपना नाम नहीं होनें की जानकारी दिनांक 13.09.2012 को होनें तथा विलम्ब काल को माफ करनें के लिए धारा 05 म्याद अधिनियम के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत करते हुए यह कथन किया है कि चुंकि वादग्रस्त आराजी में अपीलांट का जन्म से हक निहित है क्योंकि वह अपने मृतक पिता एवं काश्तकार जोधाराम की एकमात्र संतान है तथा साथ ही वह अनपढ़ महिला है अतः विलम्ब काल को माफ किया जावें। रेस्पोडेन्ट द्वारा जवाब प्रस्तुत करते हुए कथन किया कि अपीलांट द्वारा सम्वत् 2033 में भरें गये म्युटेशन को बिना समुचित कारण बताये अत्यंत देरिना चुनौती दी है तथा अलग अलग समय में भरें गये नामान्तरण को एक ही अपील में चुनौती दी गई है। अतः विलम्ब काल माफ नहीं किया जावें।

4. हम प्रकरण को सर्वप्रथम म्याद के विषय पर निर्णित करना आवश्यक समझते है। अव्वल तो पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात के अवलोकन एवं नामान्तरण संख्या 739 के केवल अवलोकन से स्पष्ट है कि कॉलम संख्या 14 में यह प्रविष्टि अंकित है कि ''खातेदार जोधा, डुंगा के फौत होनें पर उनके जायन्दे लड़कों का नाम दर्ज किया'' तथा कॉलम संख्या 11 में मिसरू को जोधा का पुत्र अंकित करते हुए सरपंच ग्राम

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

पंचायत आ0कालू द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया। इसी प्रकार नामान्तरण संख्या 740 के कॉलम संख्या 14 में यह प्रविष्टि अंकित है कि "खातेदार जोधा व डुंगा के फौत होनें पर उत्तराधिकारी का नाम दर्ज किया गया" तथा कॉलम संख्या 11 में मिसरू को जोधा का पुत्र अंकित करते हुए सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू द्वारा नामान्तरण स्वीकृत किया गया। शेष नामान्तरण अर्थात् ग्राम लिलरिया के नामान्तरण संख्या 11 तथा ग्राम आ0कालू प्रथम के नामान्तरण संख्या 1095 एवं 1096 पश्चात्वर्ती नामान्तरण है। अपीलार्थी के द्वारा शपथ पत्र पर यह स्पष्ट किया है कि मृतक जोधा की वह एकमात्र संतान व वारिसान है तथा मिसरू जोधा का पुत्र न होकर, जोधा के भाई हापुराम का पुत्र है, जिसका रेस्पोडेन्ट द्वारा खण्डन नहीं किया गया है। अतः यह स्पष्ट है कि सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू एवं सम्बन्धित पटवारी एवं भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा वारिसान की जांच किये बिना तथा विधिक प्रावधानों का सम्यक् अनुपालन किये बिना नामान्तरण स्वीकृत किया गया जो विधि की दृष्टि से आरम्भत् शुन्य है तथा ऐसी दशा में म्याद के सम्बन्ध में उदार दृष्टिकोण अपनाया जाना विधि और विधिक प्रक्रिया की प्राथमिक आवश्यकता हैं। अपीलांट द्वारा ग्रामीण अनपढ़ महिला होनें तथा उसके द्वारा सम्बन्धित पटवारी से दिनांक 13.09.2012 को पटवारी से वादग्रस्त आराजी की नकल प्राप्त करनें पर स्वयं का नाम भू अभिलेख में दर्ज नहीं होनें की जानकारी होनें के आधार पर विलम्ब काल को माफ किये जानें के निवेदन को स्वीकार करना हम कानूनन उचित समझते है क्योंकि विधि एवं विधिक प्रक्रिया का प्राथमिक उदेश्य यह होता हैं कि निर्णय गुणावगुण के आधार पर किया जाना चाहिए। प्रक्रियागत प्रावधान निर्णय में साधन के रूप में होते है न कि स्वयं साध्य के रूप में। अतः अपीलांट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 म्याद अधिनियम बखूबी साबित होनें से एवं विधि संगत होनें से स्वीकार किया जाना हम आवश्यक एवं उचित समझते है।

5. अपीलांट द्वारा ग्राम आ0कालू के कुल पांच नामान्तरण के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कि है, लेकिन अपील प्रार्थना पत्र एवं उपलब्ध दस्तावेजात् के अवलोकन से स्पष्ट है कि नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 पूर्ववर्ती एवं मूल नामान्तरण है तथा शेष नामान्तरण पश्चातवर्ती नामान्तरण है जो नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 से सम्बन्धित अपील के निर्णय से प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित होगें, अतः पूर्ववर्ती एवं पश्चातवर्ती नामान्तरणों को एक साथ चुनौती दिया जाना विधिक दृष्टि से आवश्यक एवं उचित है। अतः अपीलांट द्वारा पांचो नामान्तरण के विरूद्ध एक अपील प्रस्तुत करना विधिक एवं प्रक्रियागत रूप से त्रुटिपूर्ण [illegible] बा[illegible] नहीं है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

6. मूल प्रकरण के सम्बन्ध में यह स्पष्ट है कि [illegible] खातेदार एवं अपीलार्थी के पिता मृतक जोधाराम के एकमात्र संतान एवं वारिसान अपीलांट पुत्री मांगीदेवी है। रेस्पोडेन्ट संख्या दो पुजा टाक के पिता मिस[illegible]राम जोधाराम के भाई हापुराम का पुत्र है, जबकि नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 की प्रविष्टि के अनुसार खातेदार जोधाराम के फौत होनें पर मिसरू को मृतक जोधाराम का एकमात्र जायन्दा लड़का एवं उत्तराधिकारी मानकर मिसरू के पक्ष में नामान्तरण

सहायक [illegible] पदेन
उपखण्ड [illegible]धिकारी
जैतारण (पाली)

स्वीकृत किये गये, जो कि विधिक दृष्टि से शून्य हैं क्योंकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के विधिक प्रावधानों के अनुसार अपीलांट मांगी देवी मृतक जोधाराम की एकमात्र प्रथम श्रेणी की वारिसान थी, जिसके पक्ष में नामान्तरण स्वीकृत किया जाना चाहिए था परन्तु ऐसा न कर के सारवान त्रुटि कारित की है। इसके साथ ही नामान्तरण प्रविष्टि से यह स्पष्ट है कि प्रश्नगत नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 ग्राम पंचायत का प्रस्ताव लिये बिना तथा प्रस्ताव की प्रविष्टि किये बिना केवल सरपंच के द्वारा स्वीकृत किये जाने का उल्लेख है, जो कि प्रक्रियागत त्रुटि है, क्योंकि नामान्तरण प्रक्रिया एक न्यायिक प्रक्रिया है जिसके लिए ग्राम पंचायत सक्षम है, न कि केवल सरपंच। अतः सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू द्वारा स्वीकृत नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 सारभूत एवं प्रक्रियागत दृष्टि से त्रुटिपूर्ण एवं विधि विरुद्ध होनें से इसे अपास्त किया जाना कानूनन उचित है।

7. ग्राम लिलरिया के नामान्तरण संख्या 11 तथा ग्राम आ0कालू प्रथम के नामान्तरण संख्या 1095 एवं 1096 वादग्रस्त आराजी के सम्बन्ध में पश्चातवर्ती नामान्तरण है तथा मूल/पूर्ववर्ती नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 पूर्ववर्ती विवेचन के अनुसार विधि विरुद्ध एवं त्रुटिपूर्ण होनें से अपास्त कर दिये जाने से नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 के आधार पर भू अभिलेख में हुई समस्त पश्चातवर्ती प्रविष्टियां एवं नामान्तरण आरम्भतः एवं स्वतः शून्य हो जाती है, क्योंकि इनका आधार ही शून्य है। साथ ही उपर्युक्त नामान्तरण को भी सरपंच ग्राम पंचायत आ0कालू के द्वारा स्वीकृत किये जानें का अंकन है जो कि प्रक्रियागत त्रुटि है, क्योंकि इस कार्य हेतू ग्राम पंचायत सक्षम है। जिसके द्वारा प्रस्ताव पारित कर नामान्तरण आवेदन स्वीकृत या अस्वीकृत किया जाता है। अतः पूर्ववर्ती ग्राम आ0कालू के नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 अपास्त कर दिये जानें एवं नामान्तरण स्वीकृती में प्रक्रियागत त्रुटि होनें से पश्चातवर्ती ग्राम लिलरिया के नामान्तरण संख्या 11 तथा ग्राम आ0कालू प्रथम के नामान्तरण संख्या 1095 एवं 1096 को अपास्त किया जाना कानूनन उचित है।

अतः उपर्युक्त बिन्दूवार विवेचन एवं निर्णयन के आधार पर यह विनम्र अभिमत है कि ग्राम आ0कालू के नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 विधि विरुद्ध होनें तथा प्रक्रियागत त्रुटि पूर्ण होनें से इन्हें अपास्त किया जाना तथा इससे सम्बन्धित पश्चातवर्ती ग्राम लिलरिया के नामान्तरण संख्या 11 तथा ग्राम आ0कालू प्रथम के नामान्तरण संख्या 1095 एवं 1096 प्रक्रियागत त्रुटि पूर्ण होनें एवं पूर्ववर्ती तथा मूल नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 विधि विरुद्ध होनें से इन्हें अपास्त घोषित करते हुये, वादग्रस्त आराजी में [illegible] संख्या दो पुजा टाक पुत्री मिसरू का नाम विलोपित करते हुये हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के विधिक प्रावधानानुसार मृतक ख[illegible]र जोधाराम की एक मात्र संतान एवं प्रथम श्रेणी की वारिसान मांगीदेवी पुत्री जोधाराम के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने हेतू प्रकरण तहसीलदार जैतारण को प्रति प्रेषित करना विधि संगत एवं उचित रहेगा।

सहायक कलेक्टर पदेन
उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (पाली)

Signature Not Verified
Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested

-:: आदेश ::-

अतः उपर्युक्त विवेचन के आलोक में निष्कर्षतः अपील अपीलांट अंतर्गत धारा 75, राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 मय प्रार्थना-पत्र धारा-5, परिसीमा अधिनियम-1963 भली-भाँति साबित होनें एवं सारवान होनें से स्वीकार की जाती है। अपील में हुए विलंब काल को माफ किया जाता है। ग्राम आ0कालू के नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 विधि विरूद्ध होनें तथा प्रक्रियागत त्रुटि पूर्ण होनें से इसे अपास्त किया जाना तथा इससे सम्बन्धित पश्चातवर्ती ग्राम लिलरिया के नामान्तरण संख्या 11 तथा ग्राम आ0कालू प्रथम के नामान्तरण संख्या 1095 एवं 1096 प्रक्रियागत त्रुटि पूर्ण होनें एवं पूर्ववर्ती तथा मूल नामान्तरण संख्या 739 एवं 740 विधि विरूद्ध होनें से इन्हें अपास्त घोषित करते हुये, वादग्रस्त आराजी तहसील जैतारण जिला पाली के ग्राम लिलरिया के खसरा संख्या 567/26 रकबा 07-10 बीघा, खसरा नम्बर 567/10 रकबा 03-18 बीघा, 567/19 रकबा 00-03 बीघा, खसरा 567 रकबा 04-00 बीघा, खसरा संख्या 565 रकबा 00-05 बीघा, किस्म गै0मु0 बेरा, खसरा संख्या 567/15 रकबा 1-16 बीघा, ग्राम आ0कालू प्रथम के खसरा संख्या 718 रकब 02-16 बीघा, खसरा 720 रकबा 02-17 बीघा, खसरा संख्या 914 रकबा 03-08 बीघा, खसरा संख्या 768 रकबा 01-10 बीघा, खसरा संख्या 743 रकबा 00-03 बीघा, खसरा संख्या 719 रकबा 0-03 बीघा, खसरा संख्या 742 रकबा 0-03 बीघा, खसरा संख्या 746 रकबा 0-03 बीघा, खसरा संख्या 764 रकबा 00-06 बीघा एवं खसरा संख्या 784 रकबा 01-01 बीघा में से रेस्पोडेन्ट संख्या दो पुजा टाक पुत्री मिसरू/मिसरूराम कौम माली का नाम भू अभिलेख से विलोपित करते हुए हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 08 के विधिक प्रावधानानुसार मृतक खातेदार जोधाराम की एक मात्र संतान एवं प्रथम श्रेणी की वारिसान मांगीदेवी पुत्री जोधाराम के नाम नामान्तरण स्वीकृत करने हेतू प्रकरण तहसीलदार जैतारण को प्रति प्रेषित किया जाता है। तहसीलदार जैतारण को पालनार्थ तहरीर जारी हो। पत्रावली इसी मुताबिक निर्णित होकर संख्या से एक कम होते हुए दाखिल दफ़्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी
जैतारण (जिला-पाली)

निर्णय आज दिनॉक 25/02/2021 को सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Bhaskar Bishnoi
Date: 2021.03.05 13:04:46 IST
Reason: SelfAttested